न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	35/2021
G.C.M.S प्रकरण संख्या	2021/3
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	[illegible].2021
प्रकरण के निर्णय की दिनांक	11/[illegible]/2022

उनवान

1	खतीजाबाई पत्नि शहाबुद्दीन मुसलमान नि. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

1	मगना पुत्र ऊदा कुमावत नि. भाटड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	मोहन पुत्र ऊदा कुमावत नि. भाटड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	ल्हादू पुत्र ऊदा कुमावत नि. भाटड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	मोहन पुत्र ऊदा कुमावत नि. भाटड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	बाली पत्नि मोती कुमावत नि. भाटड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6	भैरू पुत्र मोती कुमावत नि. भाटड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
7	गनी मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद मुसलमान नि. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8	सोराम पुत्र कालू कुमावत नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
9	तेजू पुत्र कालू कुमावत नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
10	रूपा पुत्र मगना कुमावत नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
11	किशना पुत्र मगना कुमावत नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
12	नंगजी पुत्र मगना कुमावत नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
13	नन्दा पुत्र मांगु कुमावत नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
14	आसू पुत्र घीसू कुमावत नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
15	नंगजी पुत्र घीसू कुमावत नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
16	खमाण पुत्र भैरू भील नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
17	बालू पुत्र ज्वारा भील नि. खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
18	गनी मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद मुसलमान नि. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
19	हनीफ मोहम्मद पुत्र हसीनुद्दीन मुसलमान नि. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
20	तनवीर मोहम्मद पुत्र हसीनुद्दीन मुसलमान नि. आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
21	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी /प्रार्थीगण	पक्षकार संख्या 1	श्री इश्तियाक अहमद शेख
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	पक्षकार संख्या 1 से 20 पक्षकार संख्या 21	एक तरफा कार्यवाही श्री पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.19 16:25:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.रा. [illegible] अधिनियम 1956

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेप[illegible] किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा
1	खातोला	2073-2076	23	302	0.48
		कुल किता	1	कुल रकबा	0.48

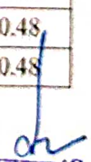

सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ो की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

(3) प्रार्थी / प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की सहमति से सीमाज्ञान करवाने के लिये निवेदन किया तो मना कर दिया और प्रार्थी /प्रार्थीगण की आराजियात की सीमा से पेड़ काटने व छंगायी करने ,घास काटने हेतु विपक्षीगण अक्सर लड़ाई-झगड़ा करने पर उतारु रहते है जिससे विवाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी /प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(5) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी /अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है ।

(6) पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है तथा राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होने से प्रकरण में जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(7) वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात की पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है।

(8) प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(9) बहस वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एंव पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू.अ.निरीक्षक कांवलास को 500 /- रूपये की फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीश्नर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट मे किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्द पड़ौसी एंव खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एंव तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी /प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते / हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें।निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.19 16:25:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

क्रमांक / रीडर /2022/31 दिनांक 18/4/22

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा